

बिहार सरकार
परिवहन विभाग

पत्रांक-06/फिटनेस (ATS)-51/2022 6908

प्रेषक,

राज्य परिवहन आयुक्त,
बिहार, पटना।

सेवा में,

City Services,
Address-NH-30, Karmalichak,
Patna City, Patna-800009
E-mail:- city.services@hotmail.com

पटना, दिनांक:- 21/8/2025

विषय- पटना जिले में स्वचालित परीक्षण स्टेशन की स्थापना के निर्माण हेतु निर्गत प्रारंभिक निबंधन प्रमाण-पत्र सं0-51/2022 को रद्द करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि जिला परिवहन पदाधिकारी, पटना द्वारा उनके पत्रांक-2446 दिनांक-29.04.2025 द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि आवेदक स्वचालित परीक्षण स्टेशन के स्थापना हेतु इच्छुक नहीं है साथ ही आवेदक के पक्ष में निर्गत प्रारंभिक निबंधन प्रमाण-पत्र (PRC) सं0-51/2022 रद्द करने की अनुशंसा की गई है।

विभागीय पत्रांक-3420, दिनांक-29.04.2025 द्वारा निर्गत नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया गया था कि एक सप्ताह के अन्दर स्वचालित परीक्षण स्टेशन की स्थापना से संबंधित अद्यतन प्रतिवेदन विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। निर्धारित अवधि तक प्रतिवेदन प्राप्त नहीं होने की स्थिति में यह माना जायेगा कि आप स्वचालित परीक्षण स्टेशन की स्थापना के लिए इच्छुक नहीं है। इस कारण स्वचालित परीक्षण स्टेशन के निर्माण हेतु आपको निर्गत प्रारंभिक निबंधन प्रमाण-पत्र को रद्द करने की कार्रवाई की जायेगी। आपके द्वारा विभागीय नोटिस का कोई प्रति उत्तर समर्पित नहीं किया गया है।

पुनः विभागीय पत्रांक-4261 दिनांक-22.05.2025 द्वारा अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय कक्ष में दिनांक-28.05.2025 को मध्याह्न 12:00 बजे उपस्थित होकर अपना पक्ष रखने का अनुरोध किया गया है, परंतु उक्त बैठक में आप उपस्थित नहीं हुए।

अतः उपरोक्त तथ्यों एवं जिला परिवहन पदाधिकारी, पटना से प्राप्त प्रतिवेदन के आलोक में आपको पटना जिला में स्वचालित परीक्षण स्टेशन की स्थापना हेतु निर्गत प्रारंभिक निबंधन प्रमाण-पत्र सं0-51/2022 को तत्काल प्रभाव से रद्द किया जाता है।

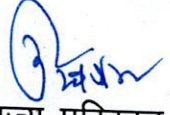
विश्वासभाजन,

राज्य परिवहन आयुक्त,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक- 6908

पटना, दिनांक- 21/8/2025

प्रतिलिपि- जिला परिवहन पदाधिकारी, पटना/मोटरयान निरीक्षक, पटना/आई0टी0
मैनेजर, परिवहन विभाग, बिहार को सूचनार्थ प्रेषित।


राज्य परिवहन आयुक्त,
बिहार, पटना।